नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

सूचना

क्रमांक- एफ-3-70/2018/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) ", दिनांक 27 सितम्बर 2019 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके है :-

<u>संशोधन</u>

उक्त नियमों में, नियम 15 में, -

1. उपनियम (1) में,-

(एक) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए।

(दो) शब्द "भू-स्वामी" के स्थान पर, शब्द " व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा" स्थापित किया जाए।

2. उप-नियम (3) का लोप किया जाए।

3. उप-नियम (4) में,-

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्न लिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(क) यदि संचालक चाहे तो सिटॉप से तथ्यात्मक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है, साथ ही और पूर्व कथित रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा सिटॉप को ऐसी फीस का भुगतान करेगा जैसा कि इस के द्वारा अवधारित की जाए।"

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संचालनालय" स्थापित किया जाए।

(तीन) खण्ड (ग), में शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संचालनालय" स्थापित किया जाए।

(चार) खण्ड (घ) का लोप किया जाए।

4. उप-नियम (5) में,-

(एक) शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश" स्थापित किया जाए।

(दो) शब्द 6 में, अनुक्रमांक 6 में, शब्द "मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का परियोजना संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक, द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त संचालक" नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय" स्थापित किया जाए।

Scanned with CamScanner

उप-नियम (6) मे, शब्द " विकास प्राधिकरण संघ" का लोप किया जाए।

6. उप-नियम (7) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए।

7. उप-नियम (8) मे शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए ।

8. उप-नियम (9) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए ।

9. उप-नियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अत:स्थापित किया जाए, अर्थात :-

"(9)(क) आपत्तियों एवं सुझावो पर विचार करने के पश्चात, संचालक उपांतरणों के लिए दस्तावेज अपने मत के साथ राज्य सरकार को भेजेगा।

10. उपनियम (10) में शब्द "समिति की अनुशंसाओं" के स्थान पर "संचालक के मत" स्थापित किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-03-70-2018-अठराह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-एफ-03-70-2018-अठराह-5, दिनांक 17 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, dated 17 December 2019

NOTICE

F.No.-F-3-70/2018/18-5- In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section 85 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) the State Government hereby makes the following Rules, the same having been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette (Ordinary)", dated 27 September 2019 as required by sub section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 15,-

1. In Sub-Rule (1),-
   (i) for the word "State Government" the word "Director" shall be substituted.
   (ii) for the words "owner of land" the words "by the person or group of persons" shall be substituted.
2. Sub-Rule (3) shall be omitted.

Scanned with CamScanner

3. In sub-rule(4)-
   (i) for clause(a), the following clause shall be substituted, namely:-
   "(a) If the Director desire so, can get a factual field enquiry report from SITOP as well and applicant shall pay such fees to SITOP for preparing aforementioned factual report, as may have been determined by it."
   (ii) In clause (b), for the words "VPS", the word "Directorate" shall be substituted.
   (iii) In clause (c), for the words "VPS", the word "Directorate" shall be substituted.
   (iv) clause (d) shall be omitted.
4. In Sub-Rule (5),-
   (i) for the word "VPS" the word "Joint Director, Town and Country Planning shall be substituted.
   (ii) In clause (6), in serial number 6, for the word "Project Director of Madhya Pradesh Vikas Pradhikaran Sangh", the word "Joint Director, Town and Country Planning, Directorate, nominated by the Director", shall be substituted.
5. In Sub-Rule (6), the word "Vikas Pradhikaran Sangh" shall be omitted.
6. In Sub-Rule (7), for the words "State Government" the word "Director" shall be substituted.
7. In Sub-Rule (8), for the words "State Government" the word "Directorate" shall be substituted.
8. In Sub-Rule (9), for the words "State Government" the word "Director" shall be substituted.
9. After Sub-Rule (9), the following Sub-Rule shall be inserted, namely:-
   "(9)(a) The Director shall after considering the objections/suggestions will send with his opinion to State Government along with document for modification."
10. In Sub Rule (10), for the words "The recommendation of the Committee" the words "Opinion of the director", shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'', बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. 1780-म.प्र.वि.नि.आ.-2019.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61(ज) तथा 86(1)(ङ) के साथ पठित धारा 181(1) तथा धारा 181(2) (य त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे सशक्त बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 में आठवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :—
   (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण

Scanned with CamScanner